रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07112026-277749
CG-DL-E-07112026-277749

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 871] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5, 2026/कार्तिक 14, 1948
No. 871] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 5, 2026/KARTIKA 14, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2026

सा.का.नि. 973(अ).— मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि 634(अ), तारीख 16 जुलाई, 2026 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के अवसान से पूर्व, उससे प्रभावित होने वाले सभी संभाव्य व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 16 जुलाई, 2026 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है।

अतः, अब केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (पंद्रहवा संशोधन) नियम, 2026 है।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में, (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), नियम 115 के उपनियम (18) में,-

(I) खंड (i) में, सारणी 2 में,-

(क) टिप्पण (4) में,-

(i) खंड (क) में, खंड (क) में, "(जी20, जी23 तथा जी25)", कोष्ठकों, अक्षरों, अंकों तथा शब्द के स्थान पर "(जी20)" कोष्ठक, अक्षर तथा अंक रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में,

(अ)"(बीआईएस 15958:2012)", अक्षरों तथा अंकों के स्थान पर "(बीआईएस 15958:2023)" अक्षर तथा अंक रखे जाएंगे;

(आ)"(बीआईएस 14861:2000)", अक्षरों तथा अंकों के स्थान पर "(बीआईएस 14861:2020)" अक्षर तथा अंक रखे जाएंगे;

(iii) खंड (च) में, "(आईएस 16087:2013)", अक्षरों तथा अंकों के स्थान पर "(आईएस 16087:2025)" अक्षर तथा अंक रखे जाएंगे;

(iv) खंड (झ) का लोप किया जाएगा;

(ख) टिप्पण (9) में,-

(अ) खंड (ii) में,-

(i) "(बीआईएस 15958:2012)", अक्षरों तथा अंकों के स्थान पर "(बीआईएस 15958:2023)" अक्षर तथा अंक रखे जाएंगे;

(ii) "(बीआईएस 14861:2000)", अक्षरों तथा अंकों के स्थान पर "(बीआईएस 14861:2020)" अक्षर तथा अंक रखे जाएंगे;

(आ) खंड (iii) में, "(आईएस 15607)", अक्षरों तथा अंकों के स्थान पर "(आईएस 15607:2022)" अक्षर तथा अंक रखे जाएंगे;

(इ) खंड (v) में, "(आईएस 16634:2017)", अक्षरों तथा अंकों के स्थान पर "(आईएस 16634:2023)" अक्षर तथा अंक रखे जाएंगे;

(ई) खंड (vi) में, "(आईएस 16087:2013)", अक्षरों तथा अंकों के स्थान पर "(आईएस 16087:2025)" अक्षर तथा अंक रखे जाएंगे;

(उ) खंड (viii) में, "(आईएस 17021:2018)", अक्षरों तथा अंकों के पश्चात् "बीआईएस द्वारा समय समय पर यथा संशोधित" अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(II) खंड (i-अ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(i-आ) विश्वव्यापी सुमेलित लाइट ड्यूटी परीक्षण प्रक्रिया(WLTP) परीक्षण चक्र (एन1 प्रवर्ग के लिए) सहित भारत स्टेज VI (BS-VI) के लिए उत्सर्जन मानक: सभी माडल हेतु तारीख 1 अप्रैल, 2028 को या के पश्चात् विनिर्मित, प्रवर्ग एन1 के यानों के लिए उत्सर्जन मानक, निम्नानुसार होंगे:

सारणी 1

पीआई तथा सीआई आंतरिक दहन ईंजन के साथ फिट यानों के लिए निकास उत्सर्जन सीमा

क्रमांक	वर्ग	श्रेणी	निर्देश द्रव्यमान (आरएम) (2) (किलोग्राम)	कार्बन मोनो ऑक्साइड का द्रव्यमान (सीओ)		हाइड्रो कार्बन का द्रव्यमान (टीएचसी)		नॉनमीथेन हाइड्रोकार्बन का द्रव्यमान (एनएमएचसी)		नाइट्रोजन ऑक्साइड का (एनओएक्स)		संयुक्त हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड कुल द्रव्यमान (टीएचसी + एनओएक्स)		कणिका पदार्थ का द्रव्यमान (पीएम)		संख्या कणों का (पीएन)	
				एल 1 (मिलीग्राम/किमी)		एल 2 (मिलीग्राम/किमी)		एल 3 (मिलीग्राम/किमी)		एल 4 (मिलीग्राम/किमी)		एल2 + एल4 (मिलीग्राम/किमी)		एल 5 (मिलीग्राम/किमी)		एल 6 (#/किमी)	
				पीआई	सीआई	पीआई	सीआई	पीआई	सीआई	पीआई	सीआई	पीआई	सीआई	पीआई (1)	सीआई	पीआई (1)	सीआई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	एन 1	I	आरएम ≤ 1305	1000	500	100	-	68		60	80	-	170	4.5	4.5	$6x10^{11}$	$6x10^{11}$
2.		II	1305 < आरएम ≤ 1760	1810	630	130	-	90	-	75	105	-	195	4.5	4.5	$6x10^{11}$	$6x10^{11}$
3.		III	1760 < आरएम	2270	740	160	-	108	-	82	125	-	215	4.5	4.5	$6x10^{11}$	$6x10^{11}$

स्पष्टीकरण 1. - PI = सकारात्मक प्रज्वलन, CI = संपीडन प्रज्वलन

(क) सकारात्मक प्रज्वलन के लिए, कण द्रव्यमान और कणों की संख्या की सीमा केवल डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन वाले यानों पर लागू होगी।

(ख) "निर्देश द्रव्यमान" से यान के चालू हालत में द्रव्यमान प्लस 75 किलोग्राम अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण 2. - 3.5 से 5.0 टन सकल यान भार वाली प्रवर्ग N2 की गाड़ियों के लिए, जो प्रवर्ग N1 की गाड़ी से बनी हैं, अनुमोदन अथॉरिटी उत्सर्जन टाइप-अनुमोदन दे सकती है अगर N2 गाड़ी प्रवर्ग N1 की गाड़ी के लिए उत्सर्जन की ज़रूरतों को पूरा करती है। ऐसी N2 गाड़ियों को इस नियम के अधीन COP/ISC/IUPR की अपेक्षाओं को पूरा करना होगा।

स्पष्टीकरण 3. - टाइप-अनुमोदन के लिए परीक्षण अपेक्षाओं *का आवेदन - बीएस VI, डब्ल्यूएलटीपी परीक्षण प्रक्रियाओं के साथ, नियम 115 के उप-नियम (18) के खंड (i)* की सारणी 2 के समान होगा , जिसमें केवल व्याख्यात्मक टिप्पण(1) से (5) शामिल हैं।

टिप्पण. -

1. परीक्षण चेसिस डायनेमोमीटर पर किया जाएगा।
2. ड्राइविंग साइकिल सहित परीक्षण प्रक्रिया, AIS-175 में दी गई जानकारी के अनुसार होगी, जिसे समय-समय पर बदला जाएगा।
3. उत्पादन की अनुरूपता (COP) के प्रयोजन के लिए नियमों में कोई ढील नहीं दी जाएगी, और पालन का तरीका AIS-175 के अनुसार होगा, जिसे समय-समय पर बदला जाएगा।
4. नियम 115 के उपनियम (18) के खंड (i) के टिप्पण 4 के समान होंगे।
5. क्रैंककेस वेंटिलेशन सिस्टम किसी भी क्रैंककेस गैस को एटमॉस्फियर में निकलने नहीं देगा।

6. गैसोलीन से चलने वाली गाड़ियों से इवैपोरेटिव उत्सर्जन 2.0 g/test से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गैसोलीन से चलने वाली गाड़ियों के लिए इवैपोरेटिव उत्सर्जन परीक्षण का तरीका AIS 175 में बताए गए तरीके के हिसाब से होगा, और समय-समय पर इसमें बदलाव भी किए जाएँगे।

7. उत्पादन अनुरूपता (CoP) परीक्षण प्रक्रिया AIS-137 में बताए अनुसार होगा।

8. उत्पादन (सीओपी) आवृत्ति और नमूनों की अनुरूपता नियम 115 के उपनियम (18) के खंड (i) की सारणी 2 के टिप्पण 8 के समान होगी।

9. नियम 115 के उपनियम (18) के खंड (i) की सारणी 2 के टिप्पण 9 के समान होंगे।

10. NOx रिडक्शन एजेंट AUS 32 (जलीय यूरिया घोल) के विनिर्देश नियम 115 के उप-नियम (18) के खंड (i) की सारणी 2 के टिप्पण 10 के समान होंगे।

11. डीजल यानों के लिए दृश्य प्रदूषकों (धुआं) के उत्सर्जन की अपेक्षाएं नियम 115 के उपनियम (18) के खंड (i) की सारणी 2 के टिप्पण 11 के समान होंगी।

12. इंजन की पावर को इंजन डायनेमोमीटर पर मापा जाएगा और मापी गई पावर के लिए प्रक्रिया और ज़रूरतें AIS 137 के हिसाब से होंगी, जिसमें समय-समय पर बदलाव किए गए हैं।

13. नियम 115 के उप-नियम (2) के खंड (i) के उपबंधों का पालन करेंगे, जैसा भी लागू हो।

14. मुक्त त्वरण धुआँ: इस उप-खंड में निर्दिष्ट सीआई इंजन से सुसज्जित यान नियम 115 के उप-नियम (2) के खंड (ii) के प्रावधानों का पालन करेंगे, जैसा भी लागू हो।

15. गिरावट कारक निम्नलिखित सारणी में दिए गए अनुसार होगा, अर्थात्: -

सारणी 2

गिरावट कारक: बीएस VI – WLTP परीक्षण चक्र

क्रम संख्या	इंजन वर्ग	निर्दिष्ट गिरावट कारक						
		सीओ	टीएचसी	एनएमएचसी	एनओएक्स	एचसी+एनओएक्स	कणिका तत्व (पीएम)	कण संख्या (पीएन)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	सकारात्मक प्रज्वलन	1.5	1.3	1.3	1.6	-	1.0	1.0
2.	दबाव प्रज्वलन	1.5	-	-	1.1	**1.1**	1.0	1.0

(i) अनुकल्पी रूप से, यान निर्माता एआईएस 175 के अनुसार और समय-समय पर संशोधित अनुसार गिरावट कारक के मूल्यांकन के लिए 1,60,000 किलोमीटर का यान एजिंग परीक्षण या बेंच एजिंग स्थायित्व परीक्षण का विकल्प चुन सकता है।

(ii) यह परीक्षण यान को परीक्षण ट्रैक पर, सड़क पर, या चेसिस डायनेमोमीटर या इंजन परीक्षण बेंच पर एआईएस 175 के अनुसार और समय-समय पर संशोधित करके किया जा सकता है

(ii) ऊपर बताया गया एजिंग परीक्षण, नियम 126 में बताए गए अनुमोदित परीक्षण अभिकरण से ही किया जाना चाहिए।

16. गाड़ियों में उत्सर्जन नियंत्रण के लिए ऑन-बोर्ड डायग्नोसटिक (BS VI WLTP- OBD) सिस्टम लगे होंगे। इनमें AIS-175 में बताए गए तरीके और समय-समय पर बदले गए तरीके के हिसाब से कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर फॉल्ट कोड के ज़रिए खराबी की संभावित जगह की पहचान करने की क्षमता होगी, जब उस खराबी की वजह से नीचे दी गई सारणी में दी गई सीमा से ज़्यादा उत्सर्जन बढ़ जाता है, अर्थात्:-

सारणी 3

यानों के लिए ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक (OBD) उपरीसीमा : BS-VI WLTP

क्रम संख्या			निर्देश द्रव्यमान (आरएम) [2] (किलोग्राम)	सीओ (मिलीग्राम/किमी)		एनएमएचसी/ (मिलीग्राम/किमी)		एनओएक्स(मिलीग्राम/किमी)		बजे (मिलीग्राम/किमी)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	वर्ग	श्रेणी		पीआई	सीआई	पीआई	सीआई	पीआई	सीआई	पीआई [1]	सीआई
2.	एन 1	I	आरएम ≤ 1305	1900	1750	170	290	90	140	12	12
3.		II	1305 < आरएम ≤ 1760	3400	2200	225	320	110	180	12	12
4.		III	1760 < आरएम	4300	2500	270	350	120	220	12	12
	1. सकारात्मक प्रज्वलन के लिए, कण द्रव्यमान सिर्फ़ डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन वाली गाड़ियों पर लागू होता है 2. निर्देश द्रव्यमान को रनिंग ऑर्डर में द्रव्यमान +75kg माना जाएगा।										

17. इन नियमों का पालन करने वाले BS VI यानों के लिए इन-यूज़ परफॉर्मेंस रेश्यो (IUPR), OBD सिस्टम के एक खास मॉनिटर M का इन-यूज़ परफॉर्मेंस रेश्यो (IUPR) होगा:

$IUPR_M$ = अंश/भाजक

(i) अंश और भाजक की तुलना यह बताती है कि गाड़ी के प्रचालन के हिसाब से कोई खास मॉनिटर कितनी बार काम कर रहा है। IUPR को ट्रैक करने के लिए ब्यौरेबद्ध अपेक्षाएं AIS 175 में दी गई हैं।

(ii) यदि, एआईएस 175 में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार, यान एक विशिष्ट मॉनिटर एम से सुसज्जित है, तो आईयूपीआर $_{एम}$ निम्नलिखित न्यूनतम मूल्यों से अधिक या बराबर होगा।

(क) वाष्पीकरण उत्सर्जन शुद्ध नियंत्रण मॉनिटर के लिए 0.520;

(ख) अन्य सभी मॉनिटरों के लिए 0.336;

(ग) सेकेंडरी एयर सिस्टम मॉनिटर और अन्य कोल्ड स्टार्ट-रिलेटेड मॉनिटर के लिए 0.260।

18. गाड़ियों का सर्विस कम्प्लायंस AIS175 में बताए गए प्रक्रिया और समय-समय पर बदले गए तरीके के अनुसार होगा।

19. इन नियमों का पालन करने वाली गाड़ियों के लिए, टाइप अनुमोदन के दौरान सभी मॉडलों के लिए, समय-समय पर बदले गए AIS 175 में बताए गए तरीके के अनुसार PEMS का इस्तेमाल करके असल दुनिया में ड्राइविंग साइकिल उत्सर्जन का माप किया जाएगा। RDE अनुरूपता फैक्टर (CF) नीचे दी गई सारणी के अनुसार होगा, अर्थात्:-

सारणी 4

अनुरूपता कारक (सीएफ): बीएस VI-WLTP

क्रम संख्या	**प्रदूषक**	**CF प्रदूषक**
(1)	(2)	(3)
1.	एनओएक्स	1 + मार्जिन [3]एनओएक्स मार्जिन NOx = 0.43 के साथ
2.	पीएन [1]	1 + मार्जिन [3] पी.एन. मार्जिन PN = 0.5 के साथ
3.	सीओ [2]	-
1. इसके लिए लागू: सिर्फ़ प्रक्रिया प्रज्वलन (डायरेक्ट इंजेक्शन) इंजन और संपीडन प्रज्वलन इंजन 2. CO उत्सर्जन को RDE परीक्षण में मापा और अभिलिखित किया जाएगा। 3. मार्जिन एक पैरामीटर है जो PEMS इक्विपमेंट से आने वाली एक्स्ट्रा मेज़रमेंट की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखता है।		

20. CNG या बायो-CNG या HCNG गाड़ियों को AIS 024, AIS-028 रिविज़न 1 के अनुसार सभी सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करना होगा, जैसा भी लागू हो।

21. गाड़ी E85 और E100 के इथेनॉल ब्लेंड के स्तर के साथ कितनी कम्पैटिबिलिटी रखती है, यह गाड़ी बनाने वाली कंपनी तय करेगी, और इसे AIS 171:2021 के अनुसार गाड़ी पर साफ़ दिखने वाला स्टिकर लगाकर दिखाया जाएगा।

22. सभी गैसोलीन-ईंधन वाले मोनो-ईंधन और सकारात्मक प्रज्वलन इंजन वाले द्वि-ईंधन यान, जिसमें हाइब्रिड भी शामिल हैं, इथेनॉल (E20) ईंधन के साथ प्रमाणित किए जाएंगे।"

3. उक्त नियमों में, उपाबंध IV-L के स्थान पर निम्नलिखित उपाबंध IV-L रखा जाएगा, अर्थात्:-

"उपाबंध -IV -एल

[नियम 115(15) देखें]

CNG के लिए निर्देश ईंधन का विनिर्देशनप्रवर्ग एम और प्रवर्ग एन के यानों के लिए सीएनजी निर्देश ईंधन, जिनका जीवीडब्ल्यू 3,500 किलोग्राम से अधिक न हो और दो और तीन पहिया यान

सारणी-1

क्रमांक				सीमाएं		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	विशेषता	इकाइयों	आधार	न्यूनतम	अधिकतम	परिक्षण विधि
2.	**निर्देश ईंधन G 20**					
3.	संघटन:					

4.	मीथेन	% तिल	100	99	100	आईएसओ 6974
5.	शेष (1)	% तिल	-	-	1	आईएसओ 6974
6.	एन 2	% तिल	-	-	-	आईएसओ 6974
7.	सल्फर की मात्रा	एमजी/एम 3 (2)	-	-	10	आईएसओ 6326-5
8.	वोबे इंडेक्स (नेट)	एमजे/एम 3 (3)	48.2	47.2	49.2	

सुपरस्क्रिप्ट के लिए व्याख्यात्मक टिप्पण

(1)अक्रिय पदार्थ (N_2 से भिन्न) + C_2 + C_2 + .

(2) मान 293.2 K (20 ^{0} C) तथा 101.3 kPa पर अवधारित किया जाना है ।

(3) मान 273.2 K (0 ^{0} C) तथा 101.3 kPa पर अवधारित किया जाना है ।

ऊपर बताए गए तरह के यानों को दोनों तरह के निर्देश ईंधन से परीक्षण किया जाना चाहिए।

किलोग्राम से ज़्यादा GVW वाले यानों के लिए CNG निर्देश ईंधन

सारणी-2

क्रमांक				सीमाएं		
	विशेषता	इकाइयों	आधार	न्यूनतम	अधिकतम	परिक्षण विधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**निर्देश ईंधन जी आर**					
2.	संघटन:					
3.	मीथेन		87	84	89	
4.	एटैन		13	11	15	
5.	शेष (1)	% तिल	-	-	1	आईएसओ 6974
6.	सल्फर की मात्रा	एमजी/एम 3 (2)	-	-	10	आईएसओ 6326-5

सुपरस्क्रिप्ट के लिए व्याख्यात्मक टिप्पण

(1) अक्रिय पदार्थ + C_2 .

(2) मान मानक परिस्थितियों (293.2 K (20 ^{0} C) तथा 101.3 kPa) पर अवधारित किया जाएगा ।

सारणी-3

क्रमांक				सीमाएं		
	विशेषता	इकाइयों	आधार	न्यूनतम	अधिकतम	परिक्षण विधि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	**निर्देश ईंधन G 23**					
3.	संघटन:					
4.	मीथेन		92.5	91.5	93.5	
5.	शेष (1)	% तिल	-	-	1	आईएसओ 6974
6.	एन 2		7.5	6.5	8.5	
7.	सल्फर की मात्रा	एमजी/एम 3 (2)	-	-	10	आईएसओ 6326-5

सुपरस्क्रिप्ट के लिए व्याख्यात्मक टिप्पण

(1)अक्रिय पदार्थ (N_2 से भिन्न) + C_2 + C_{2+} .

(2) मान मानक परिस्थितियों (293.2 K (20 ^{0}C) तथा 101.3 kPa) पर अवधारित किया जाएगा ।

[फा. सं. आरटी-11036/25/2025-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार सा.का.नि. 911(अ) तारीख 23 अक्तूबर, 2026 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2026

G.S.R. 973(E).— Whereas, the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways *vide* number G.S.R 634(E), dated the 13th July, 2026, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated 16th July, 2026, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date of which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on 16th July, 2026;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:—

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Fifteenth Amendment) Rules, 2026.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, (hereinafter referred to as the said rules), in rule 115, in sub-rule 18,-

(1) in clause (i), in Table 2,-

(a) in note number (4),-

(i) in clause (a), for the brackets, letters, figures and word "(G20, G23 and G25)" the brackets, letter and figures "(G20)" shall be substituted;

(ii) in clause (b), for the letters and figures "BIS 15958:2012", the letters and figures "BIS 15958:2023" shall be substituted;

(iii) in clause (b), for the letters and figures "BIS 14861:2000", the letters and figures "BIS 14861:2020" shall be substituted;

(iv) in clause (e), the letters and figures "IS 16087:2013" shall be substituted with the letters and figures "IS 16087:2025";

(v) clause (i) shall be omitted.

(b) in note number 9,-

(A) in clause (ii),-

(i) for the letters and figures "BIS 15958:2012", the letters and figures "BIS 15958:2023" shall be substituted;

(ii) for the letters and figures "BIS 14681:2000", the letters and figures "BIS 14861:2020" shall be substituted;

(B) in clause (iii), for the letters and figures "IS 15607" the letters and figures "IS 15607:2022" shall be substituted;

(C) in clause (v), for the letters and figures "IS 16634:2017" the letters and figures "IS 16634:2023" shall be substituted;

(D) in clause (vi), for the letters and figures "IS 16087:2013" the letters and figures "IS 16087:2025" shall be substituted;

(E) in clause (viii), after the letters and figures "IS 17021:2018", the words and letters "and as amended from time to time by BIS" shall be inserted;

(2) after clause (i-A), the following clause shall be inserted, namely: -

(II) The Emission Standards for **Bharat Stage VI (BS-VI) with Worldwide Harmonised Light Duty Test Procedure (WLTP) test cycle (for N1 category): The emission standards** for vehicles of category N1, manufactured on or after 01st April 2028, for all models, shall be as under:

TABLE 1

Exhaust Emission Limits for Vehicles Fitted with PI and CI Internal Combustion Engines

Sr. No.	Category	Class	Reference Mass (RM)[2] (kg)	Mass of carbon mon oxide (CO)		Mass of total hydro carbons (THC)		Mass of nonmethane hydrocarbons (NMHC)		Mass of oxides of nitrogen (NOx)		Combined mass of total hydrocarbons and oxides of nitrogen (THC + NOx)		Mass of particulate matter (PM)		Number of particles (PN)	
				L_1 (mg/km)		L_2 (mg/km)		L_3 (mg/km)		L_4 (mg/km)		L2 + L4 (mg/km)		L_5 (mg/km)		L_6 (#/km)	
				PI	CI	PI	CI	PI	CI	PI	CI	PI	CI	PI [1]	CI	PI [1]	CI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	N1	I	RM ≤ 1305	1000	500	100	-	68		60	80	-	170	4.5	4.5	$6x10^{11}$	$6x10^{11}$
2.		II	1305 < RM ≤ 1760	1810	630	130	-	90	-	75	105	-	195	4.5	4.5	$6x10^{11}$	$6x10^{11}$
3.		III	1760 < RM	2270	740	160	-	108	-	82	125	-	215	4.5	4.5	$6x10^{11}$	$6x10^{11}$

Explanation 1.- PI = Positive Ignition, CI = Compression Ignition

(a) For Positive Ignition, Particulate mass and number of particles limit shall apply only to vehicles with Direct Injection Engines.

(b) "Reference mass" means the vehicle's mass in running order plus 75 kg

Explanation 2.- For vehicles of category N2 between 3.5 and 5.0 tonnes Gross Vehicle Weight, originating from a type of vehicle of category N1, the approval authority may grant an emission type-approval if the N2 vehicle meets the emission requirements for a type of vehicle of category N1. Such N2 vehicles will be required to meet COP/ISC/IUPR requirements under this rule.

Explanation 3.- Application of Test Requirements for Type-Approval – BS VI, with WLTP test procedures, shall be the same as that of Table 2 of rule 115 (18) (i), including explanatory note (1) to (5) only.

Notes. -

1. The test shall be on a Chassis Dynamometer.

2. The test procedure, including driving cycle, shall be as provided in AIS-175, as amended from time to time.

3. There shall be no relaxation of norms for Conformity of Production (COP) purposes, and the procedure for compliance shall be as per AIS-175, as amended from time to time.

4. Specifications for Reference Fuels shall be same as that of Note 4 of clause (i) of sub-rule (18) of rule 115.

5. Crankcase ventilation system shall not permit the emission of any of the crankcase gases into the atmosphere.

6. Evaporative emission shall not be more than 2.0 g/test from gasoline-fuelled vehicles. The evaporative emission test procedure for gasoline-fuelled vehicles shall be as per the procedure specified in AIS 175, and as amended from time to time.

7. The conformity of production (CoP) testing procedure shall be as described in AIS-137.

8. Conformity of production (CoP) frequency and samples shall be same as that of Note 8 of Table 2 of clause (i) of sub-rule (18) of rule 115.

9. Specifications for Commercial Fuels shall be same as that of Note 9 of Table 2 of clause (i) of sub-rule (18) of rule 115.

10. Specifications of NOx reduction agent AUS 32 (Aqueous Urea Solution) shall be same as that of Note 10 of Table 2 of clause (i) of sub-rule (18) of rule 115.

11. For Diesel vehicles, the requirements for the emission of visible pollutants (smoke) shall be same as that of Note 11 of Table 2 of clause (i) of sub-rule (18) of rule 115.

12. The engine power shall be measured on engine dynamometer and the procedure and requirements for the measured power shall conform to AIS 137, as amended from time to time.

13. Type II Test: Vehicles fitted with PI engines specified in this sub-clause shall comply with the provisions of clause (i) of sub-rule (2) of rule 115 as applicable.

14. Free Acceleration Smoke: Vehicles fitted with CI engines specified in this sub-clause shall comply with the provisions of clause (ii) of sub-rule (2) of rule 115 as applicable.

15. Deterioration Factor shall be as given in the following Table: -

Table 2
Deterioration Factor: BS VI – WLTP Test Cycle

Sl. No.	**Engine Category**	**Assigned Deterioration Factor**						
		CO	**THC**	**NMHC**	**NOx**	**HC+NOx**	**Particulate Matter (PM)**	**Particle Number (PN)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Positive Ignition	1.5	1.3	1.3	1.6	-	1.0	1.0
2.	Compression Ignition	1.5	-	-	1.1	**1.1**	1.0	1.0

i. Alternatively, ~~for PI vehicles~~, the vehicle manufacturer may opt for a vehicle ageing test of 1,60,000 km or a bench ageing durability test, for evaluating the Deterioration factor as per AIS 175 and as amended from time to time.

ii. This test may be performed by driving vehicle on a test track, on the road, or on a chassis dynamometer or Engine Test Bench as per AIS 175 and as amended from time to time

iii. The above ageing test should be carried out by the approved test agency specified in rule 126.

16. The vehicles shall be equipped with On-Board Diagnostic (BS VI WLTP- OBD) systems for emission control which shall have the capability of identifying the likely area of malfunction by means of fault codes stored in computer memory as per the procedure laid down in AIS-175 and as amended from time to time when that failure results in an increase in emission above the limits given in the following Table, namely:-

Table 3:
On Board Diagnostic (OBD) Threshold for vehicles: BS-VI WLTP

Sl. No.			**Reference mass (RM) [(2)] (kg)**	**CO (mg/km)**		**NMHC/ (mg/km)**		**NOx (mg/km)**		**PM (mg/km)**	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Category	Class		PI	CI	PI	CI	PI	CI	PI [(1)]	CI
2.	N1	I	RM ≤ 1305	1900	1750	170	290	90	140	12	12
3.		II	1305 < RM ≤ 1760	3400	2200	225	320	110	180	12	12
4.		III	1760 < RM	4300	2500	270	350	120	220	12	12
	1. For positive ignition, particulate mass applies only to vehicles with direct injection engines 2. Reference Mass shall be considered as Mass in Running Order +75kg.										

17. In-use performance ratio (IUPR) for BS VI vehicles complying to these rules, the in-use performance ratio (IUPR) of a specific monitor M of the OBD systems shall be:

$IUPR_M$ = Numerator/ Denominator

i. Comparison of Numerator and Denominator indicates how often a specific monitor is operating relative to vehicle operation. Detailed requirements for tracking IUPR are given in AIS 175.

ii. If, according to the requirements specified in AIS 175, the vehicle is equipped with a specific monitor M, $IUPR_M$ shall be greater or equal to the following minimum values.

a. 0.520 for evaporative emission purge control monitors.

b. 0.336 for all other monitors.

c. 0.260 for secondary air system monitors and other cold start-related monitors.

18. In service compliance of vehicles shall be as per the procedure laid down in AIS175 and as amended from time to time.

19. For the vehicles complying with these Rules, real-world driving cycle emission measurement using PEMS shall be carried out for vehicles as per the procedure laid down in AIS 175 as amended from time to time, for all models during Type Approval. The RDE Conformity Factor (CF), shall be as per the following Table, namely:-

Table 4
Conformity Factor (CF) : BS VI-WLTP

Sl. No.	**Pollutant**	**CF pollutant**
(1)	(2)	(3)
1.	NOx	1 + margin [3] NOx With margin NOx = 0.43
2.	PN [1]	1 + margin [3] PN With margin PN = 0.5
3.	CO [2]	-

1. Applicable for: Positive Ignition (Direct Injection) engines and Compression Ignition Engines only

2. CO emissions shall be measured and recorded at RDE tests.

3. Margin is a parameter taking into account considering the additional measurement uncertainties introduced by the PEMS equipment.

20. The CNG or Bio-CNG or HCNG Vehicles shall meet all the safety requirements as per AIS 024, AIS-028 Revision 1 as applicable.

21. The compatibility of the vehicle to the level of Ethanol blend of E85 and E100 shall be defined by the vehicle manufacturer, and the same shall be displayed on the vehicle by putting a clearly visible sticker as per AIS 171:2021.

22. All the gasoline-fuelled mono-fuel and Bi-Fuel Vehicles with Positive Ignition Engines, including Hybrids, shall be certified with Ethanol (E20) fuel."

(3) In the said rules, for ANNEXURE IV-L, the following ANNEXURE IV-L shall be substituted, namely:-

ANNEXURE-IV L

[See rule 115(15)]

Specification of reference fuel for CNG

CNG Reference Fuel for Category M and Category N Vehicles not exceeding 3,500 Kgs GVW and Two and Three-Wheelers

Table 1

Sr. No.				Limits		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Characteristic	Units	Basis	Minimum	Maximum	Test method
1.	**Reference fuel G_{20}**					
2.	Composition:					
3.	Methane	% mole	100	99	100	ISO 6974
4.	Balance (1)	% mole	-	-	1	ISO 6974
5.	N_2	% mole	-	-	-	ISO 6974
6.	Sulphur content	Mg/m^3 (2)	-	-	10	ISO 6326-5
7.	Wobbe Index (net)	MJ/m^3 (3)	48.2	47.2	49.2	
(1) Inerts (different from N_2) + C_2 + C_{2+}. (2) Value to be determined at 293.2 K (20^0 C) and 101.3 kPa. (3) Value to be determined at 273.2 K (0^0 C) and 101.3 kPa.						

The above type of vehicles should be tested with both types of Reference Fuels

CNG Reference Fuel for Vehicles above 3,500 Kgs GVW

Table 2

Sr. No.				Limits		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Characteristic	Units	Basis	Minimum	Maximum	Test method
2.	**Reference fuel G_R**					
3.	Composition:					
4.	Methane		87	84	89	
5.	Ethane		13	11	15	
6.	Balance (1)	% mole	-	-	1	ISO 6974
7.	Sulphur content	Mg/m^3 (2)	-	-	10	ISO 6326-5
(1) Inerts + C_2. (2) Value to be determined at standard conditions (293.2 K (20^0 C) and 101.3 kPa).						

Table 3

Sr. No.				Limits		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Characteristic	Units	Basis	Minimum	Maximum	Test method
2.	**Reference fuel G_{23}**					
3.	Composition:					
4.	Methane		92.5	91.5	93.5	
5.	Balance (1)	% mole	-	-	1	ISO 6974
6.	N_2		7.5	6.5	8.5	
7.	Sulphur content	Mg/m^3 (2)	-	-	10	ISO 6326-5
(1) Inerts (different from N_2) + C_2 + C_{2+}. (2) Value to be determined at standard conditions (293.2 K (20^0 C) and 101.3 kPa).						

(4) In ANNEXURE IV-L, of the said rules, the row no. 9 with content "Reference fuel G_{25} to the row no. 15 shall be deleted.

[F. No. RT-11036/25/2025-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(i) vide G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide G.S.R. 911(E) dated the 23rd October, 2026.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.